International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति के ज्ञाता डॉ भीमराव अम्बेड़कर: एक अध्ययन

विजयलक्ष्मी
शोधार्थी, इतिहास विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक
डॉ० यशपाल सिंह
प्रोफेसर, इतिहास विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय अस्थल बोहर, रोहतक
डॉ० विवेक दांगी
अस्सिटेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग ए०आई०जाट एच०एम० कॉलेज, रोहतक

प्रस्तावना

डॉ. बी.आर. अंबेडकर, एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता, ने भारत में अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह शोधपत्र अनुसूचित जातियों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को संबोधित करने में डॉ. अंबेडकर की अंतर्दृष्टि, रणनीतियों और स्थायी विरासत। उनके विद्वत्तापूर्ण कार्यों, नीतिगत सिफारिशों और सक्रियता का विश्लेषण करके, यह अध्ययन एकांत पर पड़े समुदायों की आर्थिक दुर्दशा का निदान करने और स्थायी समाधान प्रस्तावित करने में एक विशेषज्ञ के रूप में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है।

मुख्य शब्द : अनुसूचित जाति, आर्थिक सशक्तिकरण, जाति आधारित भेदभाव, सामाजिक न्याय, संवैधानिक सुधार

परिचय

डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें अक्सर "भारतीय संविधान के जनक" के रूप में जाना जाता है, एक दूरदर्शी नेता, समाज सुधारक और अग्रणी अर्थशास्त्री थे। औपनिवेशिक भारत में एकांत पर पड़ी महार जाति में जन्मे अंबेडकर ने जाति-आधारित भेदभाव की दमनकारी वास्तविकताओं का प्रत्यक्ष अनुभव किया । इन अनुभवों ने अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने के उनके जीवन के मिशन को आकार दिया, एक शब्द जिसका इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को अस्पृश्यता और प्रणालीगत बहिष्कार के अधीन करने के लिए किया जाता है। जबकि अंबेडकर को कानून, शासन और सामाजिक सुधार में उनके योगदान के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है, उनका आर्थिक विचार और अनुसूचित जातियों के उत्थान पर इसका ध्यान उनकी विरासत का एक समान रूप से महत्वपूर्ण लेकिन अपेक्षाकृत कम खोजा गया पहलू बना हुआ है।

अंबेडकर के समय में अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक गरीबी, भूमिहीनता और शिक्षा या रोजगार के अवसरों तक पहुँच की कमी से चिह्नित थी। जाति व्यवस्था ने आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार के चक्र को कायम रखा, जिससे ये समुदाय नीच और अपमानजनक व्यवसायों में फंस गए। अर्थशास्त्र की अपनी गहन समझ के साथ अंबेडकर ने पहचाना कि जाति उत्पीड़न की जड़ इन समुदायों के आर्थिक अभाव में निहित है। उन्होंने तर्क दिया कि जाति व्यवस्था में निहित आर्थिक

© 2025, IRJEdT Volume: 07 Issue: 01 | Jan-2025

असमानताओं को संबोधित किए बिना, सच्चा सामाजिक न्याय हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए, उनका आर्थिक दर्शन जाति को खत्म करने और समानता हासिल करने के उनके व्यापक दृष्टिकोण से जटिल रूप से जुड़ा हुआ था।

अंबेडकर के विद्वत्तापूर्ण कार्य और सार्वजनिक वकालत ने जाति-आधारित अर्थव्यवस्था की एक क्रांतिकारी आलोचना प्रस्तुत की। उन्होंने संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए भूमि सुधार, औद्योगीकरण और राज्य के हस्तक्षेप के माध्यम से आर्थिक संरचना के परिवर्तन की वकालत की। सशक्तिकरण के साधन के रूप में शिक्षा में उनका विश्वास और श्रम अधिकारों पर उनका जोर एक समावेशी आर्थिक ढांचा बनाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में प्रावधानों का मसौदा तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण।

इस शोध पत्र का उद्देश्य विश्लेषण करना है डॉ. अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति के बारे में अंबेडकर की अंतर्दृष्टि, उनके द्वारा प्रस्तावित समाधान और समकालीन सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में उनकी प्रासंगिकता। उनके लेखन, भाषणों और नीति वकालत में गहराई से उतरकर, इस अध्ययन का उद्देश्य अंबेडकर के आर्थिक विचारों की गहराई और इसकी परिवर्तनकारी क्षमता को उजागर करना है। इसके अलावा, यह अंबेडकर द्वारा परिकल्पित जाति और अर्थव्यवस्था के प्रतिच्छेदन की खोज करता है और जांच करता है कि कैसे उनके विचार आधुनिक भारत में गूंजते रहते हैं, जहां आर्थिक असमानताएं और जाति-आधारित भेदभाव कायम है।

डॉ. अम्बेडकर का आर्थिक दर्शन

डॉ. बीआर अंबेडकर का आर्थिक दर्शन एकांत पर पड़े समुदायों, खास तौर पर अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक न्याय और समानता हासिल करने के उनके मिशन से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके आर्थिक विचार अर्थशास्त्र में उनके अकादमिक प्रशिक्षण, जाति-आधारित उत्पीड़न के उनके जीवित अनुभवों और भारतीय समाज की सामाजिक-आर्थिक संरचना के उनके आलोचनात्मक विश्लेषण से आकार लेते थे। अंबेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था केवल एक सामाजिक पदानुक्रम नहीं है, बल्कि एक आर्थिक संस्था भी है जो असमानता, शोषण और आर्थिक ठहराव को कायम रखती है। उनके दर्शन ने इस संरचना को खत्म करने और एक समावेशी और न्यायसंगत आर्थिक व्यवस्था बनाने की कोशिश की।

1. आर्थिक असमानता और जाति

अंबेडकर जाति व्यवस्था को भारत की आर्थिक प्रगति में एक बड़ी बाधा मानते थे। उन्होंने तर्क दिया कि जाति-आधारित श्रम विभाजन न केवल अनुसूचित जातियों का शोषण करता है, बल्कि आर्थिक दक्षता और विकास में भी बाधा डालता है।

- आर्थिक संस्था के रूप में जाति : अम्बेडकर ने वंशानुगत व्यवसायों को लागू करने, गतिशीलता को नकारने और उच्च जातियों के हाथों में धन और संसाधनों को केंद्रित करने के लिए जाति व्यवस्था की आलोचना की।

© 2025, IRJEdT Volume: 07 Issue: 01 | Jan-2025

- जाति और गरीबी का अंतर्संबंध : उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जाति आधारित भेदभाव अनुसूचित जातियों में गरीबी का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि इससे उनकी शिक्षा, भूमि और रोजगार तक पहुंच सीमित हो जाती है।

2. शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर

अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा जाति-आधारित आर्थिक उत्पीड़न के चक्र को तोड़ने की कुंजी है।

- सशक्तिकरण के साधन के रूप में शिक्षा : उन्होंने अनुसूचित जातियों को सशक्त बनाने और उन्हें नौकरी के बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिए सार्वभौमिक और समावेशी शिक्षा की वकालत की।
- कौशल विकास पर ध्यान : अम्बेडकर ने आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक कौशल से वंचित लोगों को लैस करने के लिए व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के महत्व पर बल दिया।

3. भूमि सुधार और पुनर्वितरण

भूमि अम्बेडकर की आर्थिक दृष्टि का केन्द्र थी, क्योंकि उनका मानना था कि भूमि का असमान वितरण आर्थिक असमानता का मूल कारण था।

- भूमि का पुनर्वितरण : उन्होंने भूमिहीन मजदूरों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के लोगों को कृषि भूमि पुनर्वितरित करने के लिए भूमि सुधार का प्रस्ताव रखा ।
- भूमि पर राज्य का स्वामित्व : अंबेडकर ने संसाधनों के समान वितरण और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक खेती और कृषि भूमि पर राज्य के स्वामित्व की वकालत की।
- जमींदारी प्रथा की आलोचना : वे जमींदारी प्रथा के कट्टर आलोचक थे, जिसके तहत भूमि का स्वामित्व कुछ उच्च जाति के जमींदारों के हाथों में केंद्रित कर दिया गया था, जिससे अनुसूचित जातियां भूमिहीन काश्तकार या मजदूर बनकर रह गईं ।

4. औद्योगीकरण और आर्थिक विकास

अम्बेडकर ने औद्योगीकरण को अनुसूचित जातियों के उत्थान और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साधन के रूप में देखा।

- कृषि से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव : उन्होंने तर्क दिया कि भारत को एकांत पर पड़े समुदायों के लिए अधिक अवसर पैदा करने के लिए कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव की आवश्यकता है।
- श्रम अधिकार और उचित मजदूरी : वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के रूप में, अम्बेडकर ने प्रगतिशील श्रम नीतियों की शुरुआत की, जिसमें आठ घंटे का कार्य दिवस, मातृत्व लाभ और श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की स्थापना शामिल थी।
- राज्य-प्रेरित औद्योगीकरण के लिए समर्थन : अम्बेडकर ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप की वकालत की।

© 2025, IRJEdT Volume: 07 Issue: 01 | Jan-2025

5. आर्थिक लोकतंत्र

अंबेडकर के लिए आर्थिक लोकतंत्र हासिल करना उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि राजनीतिक लोकतंत्र हासिल करना। उनका मानना था कि आर्थिक न्याय के बिना सच्ची स्वतंत्रता और समानता हासिल नहीं की जा सकती।

- आर्थिक न्याय : उन्होंने एक ऐसी आर्थिक प्रणाली की कल्पना की जो सभी के लिए, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के लिए, संसाधनों, अवसरों और लाभों तक उचित पहुंच की गारंटी दे।
- पूंजीवाद और साम्यवाद की आलोचना : अंबेडकर ने जाति-आधारित असमानताओं को संबोधित करने में असमर्थता के लिए पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों की आलोचना की। उन्होंने एक मध्य मार्ग की तलाश की, जिसमें राज्य के नेतृत्व वाली कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की वकालत की गई जो सामूहिक कल्याण के साथ व्यक्तिगत अधिकारों को संतुलित करती है।

6. आर्थिक उत्थान के लिए आरक्षण नीतियां

अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों के सामने आए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की पुरजोर वकालत की।

- शिक्षा और रोजगार में आरक्षण : उन्होंने अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व और आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित कोटा की वकालत की।
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण : अम्बेडकर का मानना था कि एकांत पर पड़े समुदायों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनकी आर्थिक शिकायतों को दूर करने और राष्ट्र के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण था।

7. नागरिक अधिकार और आर्थिक स्वतंत्रता

अम्बेडकर ने आर्थिक स्वतंत्रता को नागरिक अधिकारों से जोड़ते हुए तर्क दिया कि बुनियादी संसाधनों और अवसरों तक पहुंच के बिना, सामाजिक समानता एक दूर का लक्ष्य बनी रहेगी।

- श्रम की गरिमा पर ध्यान केन्द्रित करना : उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए सम्मानजनक रोजगार के महत्व पर बल दिया तथा उनके पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े सामाजिक कलंक को चुनौती दी।
- सार्वजनिक संसाधनों तक पहुंच : अंबेडकर ने सार्वजनिक संसाधनों, जैसे पानी और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच के लिए अनुसूचित जातियों के अधिकारों पर जोर देने के लिए महाड़ सत्याग्रह जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया ।

8. समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए विजन

अम्बेडकर का आर्थिक दर्शन एक समावेशी अर्थव्यवस्था के विचार पर आधारित था, जहां कोई भी व्यक्ति या समुदाय पीछे नहीं छूटेगा।

- आर्थिक असमानताओं का उन्मूलन : उन्होंने एक ऐसी आर्थिक प्रणाली की कल्पना की जो विशेषाधिकार प्राप्त और एकांत पर पड़े लोगों के बीच की खाई को पाट सके।

© 2025, IRJEdT Volume: 07 Issue: 01 | Jan-2025

- सामाजिक और आर्थिक एकीकरण : अम्बेडकर का मानना था कि सामाजिक न्याय केवल आर्थिक एकीकरण और समानता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

डॉ. अंबेडकर का आर्थिक दर्शन संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने और एकांत पर पड़े समुदायों के लिए समान अवसर बनाने पर केंद्रित था। भूमि सुधार, औद्योगीकरण, शिक्षा, श्रम अधिकार और सकारात्मक कार्रवाई पर उनके विचार समकालीन सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में प्रासंगिक बने हुए हैं। जाति और अर्थव्यवस्था के बीच अंतर्संबंध पर जोर देकर अंबेडकर ने सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान किया, जिससे उनका दर्शन अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए आधुनिक नीति-निर्माण की आधारशिला बन गया ।

अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति: अम्बेडकर का विश्लेषण

डॉ. बीआर अंबेडकर का विश्लेषण जाति को आर्थिक और सामाजिक शोषण की एक गहरी जड़ जमाई हुई व्यवस्था के रूप में उनकी समझ पर आधारित था। उन्होंने तर्क दिया कि जाति केवल एक सामाजिक संरचना नहीं है, बल्कि आर्थिक संसाधनों, अवसरों और गतिशीलता तक पहुँच को नियंत्रित करने का एक तंत्र है। अनुसूचित जातियों के आर्थिक एकांत पर होने की उनकी आलोचना व्यापक थी, जिसमें भूमिहीनता, औद्योगिक अवसरों से बहिष्कार, शिक्षा तक पहुँच की कमी और गरीबी और असमानता को बनाए रखने वाली प्रणालीगत बाधाओं को संबोधित किया गया था।

1. आर्थिक अभाव की ऐतिहासिक विरासत

अम्बेडकर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार सदियों से चले आ रहे जाति-आधारित भेदभाव ने अनुसूचित जातियों को आर्थिक पदानुक्रम के सबसे निचले पायदान पर पहुंचा दिया है।

- भूमिहीनता : अनुसूचित जातियों को ऐतिहासिक रूप से भूमि स्वामित्व से बाहर रखा गया था, जिससे वे भूमिहीन मजदूर बनकर उच्च जाति के जमींदारों पर निर्भर हो गए थे।
- वंशानुगत व्यवसाय : जाति के कारण अनुसूचित जातियों को निम्न और कलंकित कार्य करने पड़ते हैं, जैसे मैला ढोना, चमड़े का काम और कृषि मजदूरी, जिससे आर्थिक गतिशीलता बहुत कम होती है।
- व्यापार और धन से बहिष्कार : अनुसूचित जातियों को व्यापार, व्यवसाय या कुशल व्यवसायों के माध्यम से धन सृजन तक पहुंच से व्यवस्थित रूप से वंचित रखा गया, जिससे आर्थिक शक्ति उच्च जातियों के हाथों में केंद्रित हो गई।

2. कृषि अर्थव्यवस्था की आलोचना

अम्बेडकर कृषि अर्थव्यवस्था के घोर आलोचक थे, उनका तर्क था कि इससे अनुसूचित जातियों का शोषण जारी रहता है।

- कृषि में शोषण : अनुसूचित जातियों को अक्सर शोषणकारी बटाईदारी व्यवस्था में रहने के लिए मजबूर किया जाता था या उच्च जाति के जमींदारों के लिए बंधुआ मजदूर के रूप में काम करना पड़ता था।
- जमींदारों पर निर्भरता : अपनी भूमि या पूंजी के बिना, वे आर्थिक रूप से जमींदारों पर निर्भर थे, जो अक्सर उनके श्रम का शोषण करते थे और उन्हें अल्प मजदूरी देते थे।

© 2025, IRJEdT Volume: 07 Issue: 01 | Jan-2025

- संरचनात्मक असमानताएँ : अंबेडकर ने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था को जातिगत पदानुक्रम को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो अनुसूचित जातियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने से रोकता था।

3. शिक्षा और कौशल विकास में बाधाएं

अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों के आर्थिक एकांत पर होने के लिए शिक्षा तक पहुंच की कमी को एक प्रमुख कारक बताया।

- प्रणालीगत बहिष्कार : अनुसूचित जातियों को अक्सर स्कूलों में प्रवेश से वंचित रखा जाता था या उन्हें अलग क्षेत्रों में बैठने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे ज्ञान और कौशल हासिल करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती थी।
- आर्थिक परिणाम : इस बहिष्कार ने उन्हें कम वेतन वाली, अकुशल नौकरियों तक सीमित कर दिया, जिससे वे बेहतर आर्थिक अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो गए।
- समावेशी शिक्षा का आह्वान : अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों को सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक उन्नति को सक्षम करने के साधन के रूप में सार्वभौमिक शिक्षा की पुरजोर वकालत की।

4. औद्योगिक बहिष्कार और शहरी एकांत पर जाना

अम्बेडकर ने कहा कि भारत में औद्योगिकीकरण के बावजूद अनुसूचित जातियां इसके लाभों से वंचित रहीं।

- औद्योगिक नौकरियों तक सीमित पहुंच : उच्च जातियों के पास कुशल और उच्च वेतन वाली औद्योगिक नौकरियों तक पहुंच नियंत्रित थी, जबकि अनुसूचित जातियों को कम वेतन वाले, नीच काम तक ही सीमित रखा गया था।
- शहरी भेदभाव : शहरी क्षेत्रों में भी अनुसूचित जातियों को सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे औद्योगिक कार्यबल में शामिल होने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- गतिशीलता की संभावना : अंबेडकर ने जाति-आधारित आर्थिक बाधाओं को तोड़ने के लिए औद्योगीकरण को एक संभावित मार्ग के रूप में पहचाना, बशर्ते पर्याप्त नीतियां समावेशिता सुनिश्चित करें।

5. अस्पृश्यता के साथ आर्थिक अंतर्संबंध

अम्बेडकर के विश्लेषण ने अस्पृश्यता और आर्थिक अभाव के बीच गहरे संबंध को रेखांकित किया ।

- सार्वजनिक संसाधनों से वंचित करना : अनुसूचित जातियों को अक्सर सामान्य संसाधनों, जैसे कुओं, बाजारों और सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच से वंचित रखा जाता था, जिससे वे आर्थिक रूप से एकांत पर चले गए।
- रोजगार में कलंक : अस्पृश्यता का कलंक अनुसूचित जातियों के साथ रोजगार के बाजार में भी जारी रहा, जिससे उनके लिए सम्मानजनक और अच्छे वेतन वाले रोजगार के अवसर सीमित हो गए।

© 2025, IRJEdT Volume: 07 Issue: 01 | Jan-2025

6. आर्थिक संस्था के रूप में जाति

अम्बेडकर ने तर्क दिया कि जाति केवल एक सांस्कृतिक या धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि एक आर्थिक संस्था है जिसे असमानता को बनाए रखने के लिए बनाया गया है।

- श्रमिकों का विभाजन, श्रम का नहीं : उन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना की, क्योंकि इसने श्रमिकों को कठोर पदानुक्रम में विभाजित कर दिया, तथा यह सुनिश्चित किया कि अनुसूचित जातियां आर्थिक सीढ़ी के निचले पायदान पर बनी रहें।
- श्रम का शोषण : जाति व्यवस्था ने उच्च जातियों को अनुसूचित जातियों को उचित मजदूरी या उन्नति के अवसर प्रदान किए बिना उनके श्रम का शोषण करने में सक्षम बनाया।

7. आर्थिक सुधारों की वकालत

अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अम्बेडकर ने कई संरचनात्मक सुधारों का प्रस्ताव रखा:

- भूमि सुधार : अंबेडकर ने संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भूमिहीन मजदूरों को कृषि भूमि के पुनर्वितरण और सामूहिक खेती की वकालत की।
- राज्य-प्रेरित औद्योगीकरण : उन्होंने औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और एकांत पर पड़े समुदायों के लिए रोजगार सृजित करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप का तर्क दिया।
- रोजगार में आरक्षण : अम्बेडकर ने सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई नीतियों का समर्थन किया।
- सामाजिक सुरक्षा और श्रम अधिकार : उन्होंने अनुसूचित जातियों सहित श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रगतिशील श्रम नीतियों की शुरुआत की।

8. आर्थिक न्याय के लिए नीति ढांचा और विजन

अम्बेडकर का दृष्टिकोण अल्पकालिक उपायों से आगे बढ़कर आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए दीर्घकालिक ढांचे की वकालत करता था:

- आर्थिक लोकतंत्र : उन्होंने आर्थिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर बल दिया, जहां एकांत पर पड़े समुदायों को संसाधनों, अवसरों और निर्णय लेने तक समान पहुंच हो।
- राज्य का उत्तरदायित्व : अम्बेडकर का मानना था कि अनुसूचित जातियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय में हस्तक्षेप करना और उसे दूर करना राज्य का नैतिक दायित्व है।
- समावेशी विकास : उन्होंने एक ऐसी अर्थव्यवस्था की कल्पना की थी जहां विकास समावेशी हो और यह सुनिश्चित हो कि विकास का लाभ समाज के सबसे एकांत पर पड़े वर्गों तक पहुंचे।

अंबेडकर के आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता

डॉ. बीआर अंबेडकर के आर्थिक विचार समकालीन भारत के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं, खासकर जब वे अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य एकांत पर पड़े समुदायों द्वारा सामना की जा रही निरंतर आर्थिक असमानताओं और सामाजिक असमानताओं को संबोधित करते हैं। आर्थिक संस्था के रूप में

© 2025, IRJEdT Volume: 07 Issue: 01 | Jan-2025

जाति व्यवस्था की उनकी आलोचना, सकारात्मक कार्रवाई के लिए उनकी वकालत, और भूमि सुधार और समावेशी विकास के लिए उनके आह्वान आधुनिक भारत में आर्थिक न्याय की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

1. सतत आर्थिक असमानता को संबोधित करना

विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, भारत में आर्थिक असमानता एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है, खासकर अनुसूचित जातियों के लिए। भूमि पुनर्वितरण, शिक्षा और रोजगार में आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई के लिए अंबेडकर की वकालत संसाधनों और अवसरों के असमान वितरण को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- भूमिहीनता और गरीबी : भूमि सुधार, जो अंबेडकर की आर्थिक दृष्टि का एक केंद्रीय पहलू था, आज भी महत्वपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि कई अनुसूचित जातियाँ भूमिहीनता और कृषि संसाधनों तक सीमित पहुँच से जूझ रही हैं। भूमि के पुनर्वितरण के लिए उनके आह्वान ग्रामीण गरीबी को दूर करने और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में अभी भी प्रासंगिक हैं।
- आरक्षण और प्रतिनिधित्व : आरक्षण के माध्यम से अनुसूचित जातियों की शिक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार तक पहुँच सुनिश्चित करने के अंबेडकर के दृष्टिकोण ने उनकी सामाजिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज, ये नीतियाँ एकांत पर पड़े समुदायों को आर्थिक अवसरों की बाधाओं को तोड़ने में मदद करती हैं, हालाँकि कार्यान्वयन में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

2. सामाजिक सुरक्षा और श्रम अधिकारों को मजबूत करना

श्रम अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के लिए अम्बेडकर की वकालत अनौपचारिक श्रम क्षेत्र के विकास और अनुसूचित जातियों सहित कमजोर समूहों के सामने आने वाली आर्थिक असुरक्षाओं के मद्देनजर अधिक प्रासंगिक हो रही है ।

- श्रम सुधार : मजदूरों के लिए बेहतर वेतन, काम करने की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा के लिए अंबेडकर के प्रयासों ने भारत में आधुनिक श्रम कानूनों की नीव रखी । आज, कई श्रमिक, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में, शोषण का सामना करना जारी रखते हैं और बुनियादी श्रम अधिकारों तक उनकी पहुँच नहीं है, जिससे श्रम सुरक्षा पर अंबेडकर के विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं।
- सामाजिक सुरक्षा : स्वास्थ्य, बेरोजगारी और पेंशन को कवर करने वाली व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का अंबेडकर का विचार प्रासंगिक बना हुआ है, खासकर आर्थिक अनिश्चितताओं और गिग अर्थव्यवस्था के कारण श्रमिकों, विशेष रूप से एकांत के समुदायों के लोगों की भेद्यता बढ़ रही है।

3. आर्थिक सशक्तिकरण के साधन के रूप में शिक्षा

अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार है। समकालीन भारत में, जबकि शिक्षा तक पहुंच में सुधार हुआ है, शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता अभी भी मुद्दे बने हुए हैं।

© 2025, IRJEdT Volume: 07 Issue: 01 | Jan-2025

- शैक्षिक अंतर को पाटना : अंबेडकर का सार्वभौमिक शिक्षा और तकनीकी/व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर आज भी जारी है, क्योंकि विभिन्न जाति समूहों के बीच शैक्षिक असमानताएं बनी हुई हैं। उन्होंने माना कि आर्थिक सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब अनुसूचित जातियों के पास आधुनिक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल तक पहुँच हो।
- समावेशी शिक्षा : सभी के लिए, विशेष रूप से एकांत के समुदायों के लिए समावेशी शिक्षा में अम्बेडकर का विश्वास, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए समान शैक्षिक नीतियों और वित्त पोषण की आवश्यकता के बारे में चल रही बहस को सूचित करता है, जिससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाया जा सके।

4. आर्थिक लोकतंत्र और समावेशी विकास

अम्बेडकर का आर्थिक लोकतंत्र का दृष्टिकोण - जहां सभी नागरिकों को, उनकी जाति की परवाह किए बिना, संसाधनों तक समान पहुंच हो - 21वीं सदी में भारत की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

- समावेशी विकास : समावेशी आर्थिक विकास के बारे में अंबेडकर का विचार उन नीतियों का मार्गदर्शन करना जारी रखता है जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के तेज़ आर्थिक विकास का लाभ एकांत पर पड़े समुदायों तक पहुँचे। विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति के बावजूद, अनुसूचित जाति और अन्य निम्न-जाति समूह आय, शिक्षा और रोज़गार में पिछड़े हुए हैं।
- राज्य की जिम्मेदारी : आर्थिक नियोजन में हस्तक्षेप करने और एकांत पर पड़े समुदायों के लिए कल्याण प्रदान करने की राज्य की जिम्मेदारी में अंबेडकर का विश्वास आय और संपत्ति में गहराते अंतर को दूर करने में तेजी से प्रासंगिक हो रहा है। राज्य के नेतृत्व वाले आर्थिक सुधारों के लिए उनकी वकालत यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सबक प्रदान करती है कि विकास न केवल निरंतर हो, बल्कि समावेशी भी हो।

5. जाति-आधारित आर्थिक भेदभाव का मुकाबला करना

यद्यपि जाति-आधारित भेदभाव को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है, फिर भी जाति के आधार पर आर्थिक भेदभाव अनुसूचित जातियों को प्रभावित करना जारी रखता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और अनौपचारिक क्षेत्रों में।

- जाति-आधारित श्रम शोषण : कई अनुसूचित जातियाँ अभी भी पारंपरिक, नीच व्यवसायों तक ही सीमित हैं और श्रम बाज़ार में भेदभाव का सामना करती हैं। अम्बेडकर की जाति की आलोचनाएँ एक आर्थिक प्रणाली के रूप में जो निचली जातियों के लिए ऊपर की ओर गतिशीलता को रोकती हैं, आर्थिक शोषण के इस रूप को संबोधित करने में प्रासंगिक बनी हुई हैं।
- आर्थिक गतिशीलता और पहुँच : जाति-आधारित श्रम विभाजन को तोड़ने और आर्थिक अवसरों तक समान पहुँच बनाने के अंबेडकर के विचार शहरीकरण, शिक्षा और श्रम बाज़ारों में चल रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं । आज, अनुसूचित जातियों के लिए

© 2025, IRJEdT Volume: 07 Issue: 01 | Jan-2025

सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता सीमित बनी हुई है, और सामाजिक न्याय का उनका ढाँचा जाति की आर्थिक बेड़ियों को तोड़ने के उद्देश्य से नीतियों को सूचित करना जारी रखता है।

6. आर्थिक नीतियों के माध्यम से सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना

आर्थिक सुधारों के माध्यम से सामाजिक न्याय के प्रति अम्बेडकर की प्रतिबद्धता, जाति-आधारित और वर्ग-आधारित आर्थिक असमानताओं को संबोधित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है।

- समग्र सुधार : सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में अंबेडकर की दृष्टि, जिसमें श्रम अधिकार, भूमि सुधार, आरक्षण और समावेशी विकास शामिल थे, गरीबी और असमानता को कम करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। आज, गरीबी कम करने, ग्रामीण विकास और सकारात्मक कार्रवाई के उद्देश्य से बनाई गई नीतियां अंबेडकर के विचारों से प्रेरित हैं ।
- अंतर-पीढ़ीगत प्रभाव : अंबेडकर के सुधारों का उद्देश्य न केवल तत्काल राहत प्रदान करना था, बल्कि अनुसूचित जातियों के लिए दीर्घकालिक सशक्तिकरण भी था, जो समकालीन सामाजिक नीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बना हुआ है। एकांत पर पड़े समूहों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता और सम्मान सुनिश्चित करने वाली नीतियों के लिए उनकी वकालत सकारात्मक कार्रवाई, कल्याणकारी कार्यक्रमों और सामाजिक न्याय पर चर्चाओं को आकार देती रहती है।

समकालीन भारत में अनुसूचित जातियों और अन्य एकांत पर पड़े समूहों की आर्थिक स्थिति को संबोधित करने के लिए डॉ. अंबेडकर के आर्थिक विचार अपरिहार्य हैं। आर्थिक लोकतंत्र, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के बारे में उनका दृष्टिकोण दीर्घकालिक आर्थिक समानता प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। चूंकि भारत गरीबी, जाति-आधारित भेदभाव और आर्थिक बहिष्कार से संबंधित चुनौतियों का सामना करना जारी रखता है, इसलिए अंबेडकर के विचार समाज के सभी वर्गों के लिए समान विकास और आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करने वाली नीतियों को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

अम्बेडकर के आर्थिक विचारों का आलोचनात्मक विश्लेषण

डॉ. बीआर अंबेडकर का आर्थिक दर्शन, जो सामाजिक न्याय में गहराई से निहित है, ने जाति-आधारित भेदभाव और आर्थिक असमानता को संबोधित करने के लिए आधुनिक भारत के दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भूमि सुधार, शिक्षा, श्रम अधिकार और सकारात्मक कार्रवाई के लिए उनकी वकालत अभी भी प्रभावशाली है। हालाँकि, उनके विचारों की आलोचनात्मक जाँच से समकालीन भारत में उनके अनुप्रयोग, प्रासंगिकता और कार्यान्वयन में ताकत और सीमाएँ दोनों का पता चलता है।

1. अम्बेडकर के आर्थिक विचारों की ताकत

- आर्थिक लोकतंत्र और समावेशी विकास की वकालत अंबेडकर के आर्थिक दर्शन की एक बड़ी ताकत आर्थिक लोकतंत्र की उनकी दृष्टि है, जहां जाति के बावजूद सभी नागरिकों को संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच मिलती है। अंबेडकर ने तर्क दिया कि आर्थिक समानता के बिना सच्चा लोकतंत्र अस्तित्व में नहीं आ सकता। एकांत पर पड़े समुदायों, विशेष रूप से अनुसूचित

© 2025, IRJEdT Volume: 07 Issue: 01 | Jan-2025

जातियों को भूमि, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करने पर उनका ध्यान क्रांतिकारी था । उदाहरण के लिए, आरक्षण प्रणाली ने अनुसूचित जातियों को शिक्षा और सरकारी रोजगार तक पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे उन्हें अन्यथा बहिष्कृत समाज में पैर जमाने का मौका मिला है।

- भूमि सुधार और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करना
भूमि सुधार और पुनर्वितरण पर अंबेडकर का जोर अनुसूचित जातियों द्वारा सामना की जाने वाली भौतिक वंचना को संबोधित करने का एक दूरदर्शी प्रयास था, जिनमें से कई भूमिहीन थे या कृषि अर्थव्यवस्थाओं में बंधुआ मजदूरों के रूप में काम करते थे। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन और भूमि के पुनर्वितरण के लिए उनका आह्वान जाति-आधारित गरीबी के चक्र को तोड़ने के तरीके के रूप में आर्थिक आत्मनिर्भरता में उनके विश्वास का प्रतिबिंब है।
- सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण के रूप में शिक्षा अंबेडकर का दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा सामाजिक और आर्थिक उत्थान की कुंजी है, जो उनके आर्थिक विचारों की एक और ताकत है। सार्वभौमिक शिक्षा के लिए उनका प्रयास, विशेष रूप से एकांत के समूहों के लिए, यह सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जातियों की आने वाली पीढ़ियों को रोजगार और नेतृत्व की भूमिकाओं में बेहतर अवसर मिलें, जिससे भारत के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में क्रमिक परिवर्तन में योगदान मिला।

2. कार्यान्वयन में सीमाएँ और चुनौतियाँ

- भूमि सुधारों का अधूरा क्रियान्वयन हालांकि अंबेडकर का भूमि सुधारों का आह्वान दूरदर्शी था, लेकिन भारत के कई क्षेत्रों में इसका पूर्ण क्रियान्वयन एक चुनौती बना हुआ है। भूमि पुनर्वितरण के उपाय जिनका उद्देश्य अनुसूचित जातियों को सशक्त बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना था, कई राज्यों में काफी हद तक अप्रभावी रहे हैं, भूमि स्वामित्व अभी भी बड़े पैमाने पर उच्च जाति के भूस्वामियों के हाथों में केंद्रित है। नौकरशाही की अक्षमताओं, राजनीतिक प्रतिरोध और जड़ जमाए सामाजिक पदानुक्रमों को दूर करने में विफलता के कारण भूमि सुधारों का कार्यान्वयन अक्सर कमजोर रहा है। परिणामस्वरूप, कई अनुसूचित जातियों को भूमिहीनता का सामना करना पड़ रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

3. अम्बेडकर का औद्योगीकरण का दृष्टिकोण: एक मिश्रित विरासत

अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों सहित एकांत पर पड़े समुदायों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के साधन के रूप में राज्य के नेतृत्व वाले औद्योगीकरण का समर्थन किया । हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद की औद्योगिकीकरण रणनीति के मिश्रित परिणाम रहे हैं, खासकर अनुसूचित जातियों के लिए। जबकि शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, ये लाभ सभी के लिए समान रूप से सुलभ नहीं हैं, खासकर निचली जाति की पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए। औद्योगिकीकरण ने, कुछ मामलों में, वर्ग-आधारित असमानताओं को मजबूत किया है, जिसमें अनुसूचित जातियों को अक्सर औद्योगिक क्षेत्रों में कम वेतन वाले, अकुशल श्रम के रूप में रखा जाता है। इसके अलावा, कई उद्योगों

© 2025, IRJEdT Volume: 07 Issue: 01 | Jan-2025

में पर्याप्त श्रम सुरक्षा और श्रमिक अधिकारों की अनुपस्थिति ने अनुसूचित जातियों के श्रमिकों को शोषण के प्रति संवेदनशील बना दिया है।

4. आधुनिक भारत के संदर्भ में अम्बेडकर का आर्थिक चिंतन

अंबेडकर के विचार, आधारभूत होते हुए भी, समकालीन मुद्दों के अनुकूल होने की आवश्यकता रखते हैं । आधुनिक भारत में, वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और नवउदारवादी आर्थिक नीतियों सहित नई चुनौतियाँ सामने आई हैं, जिन्होंने श्रम बाजार और आर्थिक संरचनाओं को इस तरह से नया रूप दिया है जिसकी अंबेडकर ने कल्पना भी नहीं की होगी। उदाहरण के लिए, गिग इकॉनमी नौकरियों का उदय, जिसमें अक्सर कानूनी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा लाभों का अभाव होता है, ने एससी सहित एकांत पर पड़े श्रमिकों की भेद्यता को बढ़ा दिया है। इसके अलावा, वैश्वीकरण ने असमानता को बढ़ाया है, जहाँ आर्थिक विकास ने असमान रूप से उच्च-जाति और शहरी आबादी को लाभान्वित किया है, जबकि एससी को आर्थिक मुख्यधारा से बाहर रखा गया है।

अंबेडकर का आर्थिक लोकतंत्र का विचार, जहां राज्य आर्थिक समानता सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाता है, भारत की बाजार संचालित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चुनौतियों का सामना करता है। पिछले कुछ दशकों में नवउदारवादी नीतियों की ओर बदलाव के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप कम हो गया है, जिससे विभिन्न जाति समूहों के बीच बढ़ती असमानताओं को दूर करने की सरकार की क्षमता सीमित हो गई है।

5. समकालीन नीतियों में सामाजिक और आर्थिक न्याय की भूमिका

अंबेडकर के आर्थिक विचारों को लागू करने में आलोचनाओं और चुनौतियों के बावजूद, सामाजिक न्याय पर उनका जोर समकालीन नीतिगत बहसों को प्रभावित करता है। गरीबी उन्मूलन, आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं और सकारात्मक कार्रवाई को लक्षित करने वाली नीतियां अभी भी अंबेडकर के दृष्टिकोण से काफी हद तक प्रभावित हैं । हालांकि, एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन से पता चलता है कि भूमि अधिकार, आर्थिक शोषण, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और समावेशी विकास सहित व्यापक संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित किए बिना अनुसूचित जातियों के लिए आर्थिक न्याय पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सकता है ।

अंबेडकर के विचार समावेशी विकास और आर्थिक समानता पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं, लेकिन यह समकालीन सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के लिए निरंतर सुधार और अनुकूलन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। आधुनिक भारत में उनके दृष्टिकोण को वास्तविकता बनाने के लिए भूमि सुधार, शिक्षा तक पहुंच, श्रम अधिकार और आर्थिक नीतियों पर फिर से विचार करने और उन्हें पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।

तालिका 1.1 अंबेडकर के आर्थिक विचारों के प्रमुख पहलुओं तथा अनुसूचित जातियों (एससी) के आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए संवैधानिक प्रावधान

© 2025, IRJEdT Volume: 07 Issue: 01 | Jan-2025

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

अम्बेडकर के आर्थिक चिंतन का पहलू	प्रमुख विचार और प्रस्ताव	प्रासंगिक संवैधानिक अनुच्छेद	आर्थिक न्याय से प्रासंगिकता	चुनौतियाँ और आलोचनाएँ
आर्थिक लोकतंत्र	सभी के लिए संसाधनों तक समान पहुंच की वकालत की गई, जिसमें एकांत पर पड़े समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया।	अनुच्छेद 15 (जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध) अनुच्छेद 38 (राज्य द्वारा कल्याण को बढ़ावा देना)	यह सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जातियों को आर्थिक अवसरों तक समान पहुंच प्राप्त हो सके, तथा जाति-आधारित बहिष्कार समाप्त हो सके।	कार्यान्वयन अभी भी अधूरा है तथा असमानताएं बनी हुई हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
भूमि सुधार	भूमिहीनों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े समुदायों को भूमि का पुनर्वितरण।	अनुच्छेद 46 (अनुसूचित जातियों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना)	भूमि उपलब्ध कराकर तथा शोषक जमींदारों पर उनकी निर्भरता कम करके अनुसूचित जातियों के आर्थिक सशक्तिकरण में सहायता प्रदान करता है।	कमजोर कार्यान्वयन, भूमि पर अभी भी बड़े पैमाने पर उच्च जाति के भूस्वामियों का नियंत्रण है।
आरक्षण प्रणाली	उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण की वकालत की।	अनुच्छेद 15 (जाति-आधारित भेदभाव का निषेध) अनुच्छेद 335 (सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे)	नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार, कौशल और उन्नति तक पहुंच सुनिश्चित करता है।	आलोचकों का तर्क है कि यह प्रणाली जाति-आधारित राजनीति को बढ़ावा देती है और अनुसूचित जातियों के आर्थिक पिछड़ेपन को नजरअंदाज करती है।
शिक्षा	उत्थान के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के लिए।	अनुच्छेद 46 (अनुसूचित जातियों के शैक्षिक हितों को बढ़ावा देना) अनुच्छेद 38 (राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना)	शिक्षा अनुसूचित जातियों को गरीबी के चक्र को तोड़ने और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कौशल प्रदान करती है।	ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच अभी भी सीमित है तथा शैक्षिक असमानताएं बनी हुई हैं।
श्रम अधिकार	श्रम सुरक्षा सहित श्रमिकों के अधिकारों के प्रबल समर्थक ।	अनुच्छेद 46 (अनुसूचित जातियों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना) अनुच्छेद 38 (कल्याण को बढ़ावा देना)	श्रम-प्रधान क्षेत्रों में कार्यरत अनुसूचित जातियों के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना, मजदूरी बढ़ाना और शोषण कम करना।	श्रम कानूनों का कमजोर प्रवर्तन, विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र में जहां अनुसूचित जातियों को अनुपातहीन रूप से रोजगार प्राप्त है।
सामाजिक	स्वास्थ्य देखभाल,	अनुच्छेद 38 (कल्याण	यह अनुसूचित जातियों	सामाजिक सुरक्षा

© 2025, IRJEdT Volume: 07 Issue: 01 | Jan-2025

सुरक्षा	बेरोजगारी लाभ और पेंशन सहित व्यापक सामाजिक सुरक्षा की वकालत की।	के लिए राज्य का उत्तरदायित्व) अनुच्छेद 46 (अनुसूचित जातियों के आर्थिक हित)	के लिए सुरक्षा जाल उपलब्ध कराता है, आर्थिक कठिनाई के समय सहायता प्रदान करता है तथा बुनियादी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।	कार्यक्रमों का सीमित क्रियान्वयन, जिसके कारण अनेक अनुसूचित जातियां अभी भी लाभ से वंचित हैं।
समावेशी विकास	विकास के ऐसे मॉडल में विश्वास किया जाता है जहां आर्थिक विकास समावेशी हो और असमानताएं कम हों।	अनुच्छेद 46 (अनुसूचित जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना) अनुच्छेद 38 (कल्याण और सामाजिक व्यवस्था)	राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि आर्थिक विकास से अनुसूचित जातियों को लाभ मिले तथा समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।	आर्थिक विकास में प्रायः अनुसूचित जातियों को शामिल नहीं किया जाता है, तथा लाभ शहरी और उच्च जाति की आबादी तक ही सीमित रहता है।
आर्थिक व्यवस्था के रूप में जाति की आलोचना	तर्क दिया गया कि जाति-आधारित सामाजिक स्तरीकरण निचली जातियों के लिए आर्थिक अवसरों को सीमित करता है।	अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन) अनुच्छेद 15 (जाति के आधार पर भेदभाव न करना)	जातिगत भेदभाव को समाप्त करने से अनुसूचित जातियों के लिए बिना किसी भय के सभी आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के द्वार खुल जाते हैं।	व्यवहार में जाति-आधारित भेदभाव जारी है, जो कानूनी सुरक्षा के बावजूद अनुसूचित जातियों की आर्थिक गतिशीलता को सीमित कर रहा है।
औद्योगीकरण	नौकरियों के सृजन और एकांत पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिए राज्य के नेतृत्व में औद्योगिकीकरण की वकालत की।	अनुच्छेद 46 (अनुसूचित जातियों के आर्थिक हित) अनुच्छेद 38 (कल्याण और आर्थिक न्याय)	औद्योगीकरण अनुसूचित जातियों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है, हालांकि अक्सर यह कम वेतन वाले, अकुशल श्रम तक ही सीमित होता है ।	उद्योगों में कुशल भूमिकाओं से वंचित रहना, कम वेतन और खराब कार्य स्थितियां अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिए आम बात है।
राज्य की भूमिका	आर्थिक असमानता को दूर करने और कल्याण को बढ़ावा देने में राज्य की जिम्मेदारी पर जोर दिया गया।	अनुच्छेद 38 (कल्याण के लिए राज्य का उत्तरदायित्व) अनुच्छेद 46 (अनुसूचित जाति के हितों को बढ़ावा देना)	अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है।	कल्याणकारी कार्यक्रमों का राज्य द्वारा असंगत कार्यान्वयन तथा नौकरशाही की अकुशलताएं समतामूलक आर्थिक लाभ में बाधा डालती हैं।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व	राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वकालत की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि	अनुच्छेद 330 (लोकसभा में आरक्षण) अनुच्छेद 332 (राज्य	आरक्षित सीटों के माध्यम से राजनीतिक सशक्तिकरण यह	यद्यपि प्रतिनिधित्व में सुधार हुआ है, फिर भी राजनीतिक निर्णय

© 2025, IRJEdT Volume: 07 Issue: 01 | Jan-2025

	अनुसूचित जातियों को उनके आर्थिक कल्याण पर प्रभाव डालने वाली नीतियों को आकार देने में आवाज मिले।	विधानसभाओं में आरक्षण) अनुच्छेद 243 (पंचायतों में आरक्षण)	सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जाति के लोग अपनी आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं की वकालत कर सकें।	लेने में अनुसूचित जातियों के लिए वास्तविक शक्ति और प्रभाव सीमित बना हुआ है।

निष्कर्ष

डॉ. बीआर अंबेडकर ने अपने दूरदर्शी विश्लेषण और वकालत के माध्यम से अनुसूचित जातियों (एससी) के आर्थिक उत्थान में जो योगदान दिया, वह भारत के सामाजिक और आर्थिक ढांचे के लिए आधारभूत है। ऐतिहासिक संदर्भ और समकालीन वास्तविकताओं दोनों में निहित एससी की दुर्दशा के बारे में उनकी गहरी समझ ने उनके आर्थिक दर्शन को आकार दिया, जिसने राज्य के हस्तक्षेप, कानूनी संरक्षण और जाति-आधारित असमानताओं को खत्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारतीय संविधान के माध्यम से, अंबेडकर ने शिक्षा को बढ़ावा देने, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने, सामाजिक सुरक्षा की वकालत करने और रोजगार और भूमि सुधार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक कार्रवाई शुरू करके एससी को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक प्रावधान किए।

अंबेडकर का आर्थिक लोकतंत्र का आह्वान जहाँ संसाधनों और अवसरों तक पहुँच जाति द्वारा नियंत्रित नहीं होती- समकालीन भारतीय नीतियों का एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है। आरक्षण, भूमि पुनर्वितरण और कल्याणकारी योजनाओं के लिए उनकी वकालत ने निस्संदेह एससी समुदाय के भीतर कई लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया है। हालाँकि, कानूनी सुरक्षा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद, एससी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति प्रणालीगत असमानताओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुँच, उच्च वेतन वाली नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व और सामाजिक बहिष्कार के कारण बाधित होती रहती है।

आज के संदर्भ में, अंबेडकर के विचार अत्यधिक प्रासंगिक हैं क्योंकि वे आर्थिक असमानता, जातिगत भेदभाव और अवसरों तक असमान पहुँच की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक खाका पेश करते हैं। उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह से साकार करने के लिए, नीति निर्माताओं के लिए कल्याणकारी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना, श्रम सुरक्षा को मजबूत करना और एकांत पर पड़े समुदायों तक पहुँचने वाले समावेशी विकास को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। इस खोज में, अंबेडकर की विरासत न केवल मौजूदा सामाजिक व्यवस्था की आलोचना प्रदान करती है, बल्कि एक अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण भविष्य के लिए एक रोडमैप भी प्रदान करती है, जहाँ हर व्यक्ति, जाति की परवाह किए बिना, आर्थिक परिदृश्य में अपने उचित स्थान तक पहुँच सकता है।

अंततः चुनौती अंबेडकर के सैद्धांतिक ढांचे को व्यावहारिक, प्रभावशाली परिवर्तन में बदलने की है जो अनुसूचित जातियों की निरंतर आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करता है। उनका काम संवैधानिक सुरक्षा उपायों की शक्ति और सभी के लिए सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता की स्थायी आवश्यकता का प्रमाण है।

© 2025, IRJEdT Volume: 07 Issue: 01 | Jan-2025

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अंबेडकर, बी. आर. (1943). *भाषायी राज्यों पर विचार.* महाराष्ट्र सरकार.
2. अंबेडकर, बी. आर. (1946). *रुपये की समस्या: इसका उत्पत्ति और समाधान.* पी. एस. किंग एंड सन्स लिमिटेड.
3. अंबेडकर, बी. आर. (1948). *अछूत: वे कौन थे और वे अछूत क्यों बने?.* ठाकरे एंड कंपनी.
4. अंबेडकर, बी. आर. (1949). *बुद्ध और उनका धर्म.* सिद्धार्थ प्रेस.
5. अंबेडकर, बी. आर. (1947). *भारत में अछूतों की समस्या.* ठाकरे एंड कंपनी
6. बेटेलिए, ए. (2001). *पिछड़े वर्ग और आरक्षण नीति.* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
7. जाफ्रेलोट, सी. (2003). *डॉ. अंबेडकर और अछूतता: भारतीय जातिवाद का विरोध.* कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस.
8. कुमार, आर. (2009). *डॉ. बी. आर. अंबेडकर: उनका दृष्टिकोण और मिशन.* रूपा पब्लिकेशंस.
9. धनगरे, डी. एन. (2002). *भारत में किसान आंदोलनों का इतिहास: 1920-1950.* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
10. चांधोक, एन. (2004). भारतीय संविधान और अंबेडकर का सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण. *आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक*, 39(50), 5281-5285.

वेबसाइट और ऑनलाइन संसाधन:

1. भारत सरकार (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय). (n.d.). अनुसूचित जातियों के लिए योजनाएँ. *सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय.* 14 जनवरी 2025 को प्राप्त, https://www.socialjustice.nic.in
2. डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन. (n.d.). *आधिकारिक वेबसाइट.* 14 जनवरी 2025 को प्राप्त, http://www.darf.nic.in
3. आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक. (n.d.). *दलित आर्थिक सशक्तिकरण पर विभिन्न लेख.* 14 जनवरी 2025 को प्राप्त, https://www.epw.in
4. अंबेडकर.org. (n.d.). *डॉ. अंबेडकर के काम पर विस्तृत संसाधन.* 14 जनवरी 2025 को प्राप्त, http://www.ambedkar.org

© 2025, IRJEdT Volume: 07 Issue: 01 | Jan-2025